न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00135

रामलाल पुत्र मोडू जाति बैरवा जाति बैरवा उम्र 63 वर्ष निवासी बैरवा बस्ती झोपडिया ग्राम खातौली की झौपडियां तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र नोन्दा उम्र 70 वर्ष जाति बैरवा निवासी बैरवा बस्ती झोपडयॉ ग्राम खातौली की झौपडियॉ तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री चेतन पराशर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महावीर प्रसाद बैरवा, रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा की सेटलमेंट पूर्व की जमाबन्दी संवत् 2036–39 की साबिक खसरा नम्बर 983/12 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी के पिता नोन्दा पुत्र ग्यारस्या जाति बैरवा के खाते राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है जिस पर वादी के पिता नोन्दा खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । बाद सेटलमेंट सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी के पिता के खाते दर्ज साबिक खसरा नम्बर 983/12 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा आराजी के नवीन खसरा नम्बर 527 रकबा 1.29 हैक्टर बनाया गया । पुराने नम्बर के कृषि आराजी के मुताबिक वादी के पिता नवीन खसरा नम्बर 527 रकबा 1.28 हैक्टर पर काबिज काश्त चले आ रहे थे वादी के पिता के फौत हो जाने के बाद से वादी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी विधिक कार्यवाही, बिना विधिक अधिकारिता के अपेन कार्य क्षेत्र से परे जाकर उक्त भूमि प्रतिवादी के दादा नाथ्या पिता घांसी व छोट्या पिता घासी, माधो, सूरज्या पिता रामेदव जाति बैरवा के खाते दर्ज कर दिया जो कालान्तर में खसरा

नम्बर 527 रकबा 1.28 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कम 01 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया जिस पर वादी काबिज काश्त है । सेटलमेंट विभाग को इस प्रकार का इन्द्राज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी कम 01 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 527 रकबा 1.28 हैक्टर पर से प्रतिवादी कम 01 का नाम खाते से विलोपित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे और वादी को उक्त भूमि का खातेदार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी कम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 527 रकबा 1.28 हैक्टर में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी कम 01 करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.10.2019 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते की भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना अपीलधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया है । इसलिए अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी प्राप्त नहीं हुई । अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 20.02.2020 को हुई जिस पर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट 70 वर्षीय वयोवृद्ध अनुसूचित जाति का व्यक्ति है । वादग्रस्त आराजी दिनांक 21.10.2019 तक अपीलान्ट के खाते में दर्ज चली आ रही थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे की आराजी कम करने के आदेश दिये हैं । वादग्रस्त आराजी कभी भी रेस्पोडेन्ट अथवा उनके पूर्वजों के खाते में नहीं रही है । रेस्पोडेन्टगण ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया और अपीलान्ट की तलबी किये बिना एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है । अपीलान्ट सदैव ग्राम में मौजूद रहता है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को अपना पक्ष पेश करने का

अवसर नहीं मिला है । जब फसल का मुआवजा पटवारी हल्का द्वारा कम बनाया गया तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट की विधि सम्मत तामील करवायी गई थी उनके उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते की है जिसको गलत रूप से अपीलान्ट के खाते में सेटलमेंट विभाग द्वारा दर्ज किया गया है । अपीलान्ट ने अपील में भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह आराजी सेटलमेंट से पूर्व उनके खाते में दर्ज थी । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 01 के खिलाफ दिनांक 05.02.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई है और प्रतिवादी कम 02 के खिलाफ दिनांक 25.02.2019 को एकतरफा कार्यवाही की गई है । दिनांक 28.03.2019 की आदेशिका में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब बन्द किया गया है । वादी के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है जिसको परीक्षण न्यायालय ने डिक्री किया है । हम प्रकरण में अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.082021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 09.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा